न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :— करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2013/00157(157/2013) 223 आरटीएक्ट

1. प्रेम कुमार पुत्र लिछमणराम, जाति मेघवाल साकिन 44 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. देवीलाल पुत्र रावताराम, जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. बद्रीराम पुत्र मनीराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. चेतनराम पुत्र खेमाराम, जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. शंकरलाल पुत्र. भादरराम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. धुंकलराम पुत्र भादरराम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. रजीराम पुत्र भादर राम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ। — अपीलान्ट

बनाम

1. जगदीश
2. महावीर
3. औमप्रकाश

} पिo बुधराम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

4. हरीराम पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल साकिन 44 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

5. औमप्रकाश पुत्र रेखाराम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. रेखाराम पुत्र मघाराम जाति मेघवाल साकिन 44 एनडीआर तहसील पीलबंगा जिला हनुमानगढ।
7. मनफूल
8. मदनलाल } जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला
9. सोहनलाल हनुमानगढ।
10. शेरारम (फौत) देवीलाल 1/1 पुत्र शेराराम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
11. शांति बेवा रावताराम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
12. कुन्नी उर्फ गुड्डी बेवा मनीराम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।
13. सुरेन्द्र पुत्र मनीराम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
14. हजारी पुत्र रावताराम जाति मेघवाल साकिन 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमागनढ।
15. मनोहर (फौत)
    परमेश्वरी 1/1
    शांति 1/2 } पुत्रियां मनोहरी बेवा भादरराम, जाति मेघवाल साकिन
    सवित्री 1/3 } 45 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
16. शांति देवी बेवा सहीराम जाति मेघववाल साकिन 44 एनडीआर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

17. सुरेन्द्र पाल
18. शिमला देवी } पि0 सहीराम जाति मेघवाल साकिन 44 एन.डी.आर.
19. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

—— रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223, राजस्थान काश्तकारी अधिनियमय
विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा,
दिनांक 25.07.2011, प्रकरण संख्या 30/2001
बअनवानी बुधराम वगैरा बनाम रजीराम वगैरा

उपस्थितः—

श्री भगवान तावणिया, अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री ओ. पी. मोदी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1
श्री मोहन मुंजाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 4
श्री अशोक गुडेसर अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 16, 17, 18
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 19

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय

दिनांक – 27.08.21

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायायल के समक्ष धारा 55 आरटीएक्ट में खाता विभाजन का एक वाद पेश किया। वादपत्र में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता में वादीगण के नाम 272 हिस्सा यानि 13 बीघा 12 बिस्वा भूमि 44 एनडीआर प. नं. 67/347 मु. नं. 15 किला नं. 1 ता 25, प. नं. 67/348 मु. नं. 16 किला नं. 1 ता 10, प. नं. 66/247 मु. नं. 14 किला नं. 1 ता 25, प. नं. 66/348 मु. नं. 17 किला नं. 1 ता 9 भूमि है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

संयुक्त खाता में प. नं. 68/346 मु. नं. 6 किला नं. 1 ता 18 में वादीगण के नाम 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. दर्ज है तथा चक 43 एनडीआर प. नं. 68/346 मु. नं. 6 किला नं. 19 ता 25, प. नं. 68/347 मु. नं. 12 किला नं. 1 ता 25 भूमि में संयुक्त खाता में प्रत्यर्थी वादीगण के नाम 1/5 हिस्सा ब.हि.ब. दर्ज है। दावा में कथन किया कि सह खातेदार रावता, भादर व मघा फौत हो चुके हैं उसके वारीसान से अन्य खातेदारान से वादीगण का रकम राज पानी व काश्त की बाबत विवाद रहता है। अतः प्रश्नगत भूमि में से वादीगण के हिस्सा की भूमि का अच्छे में से अच्छा व खराब में से खराब के हिसाब से प्रतिवादीगण से खाता तकसीम फरमाया जावे।

2. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया कि वे भूमि चक 44 एनडीआर के प. नं. 67/347 किला नं. 13/0.10, 14 ता 25 एवं प. नं. 67/348, किला नं. 6 ता 10 की 5 बीघा कुल 17 बीघा 10 बिस्वा पर बतौर खातेदार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। चक 44 एनडीआर के प. नं. 67/347 किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 व किला नं. 4, 7, 14, 17, 24 में काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है, जिस पर आड़ बनी है वादीगण उस आड़ को तोड़ना चाहते है तथा चक 44 एनडीआर के प. नं. 67/347 कि. नं. 15, 16, 25 के बीच में आड़ चल रही है जिन्हें प्रतिवादीगण तोड़ने पर आमादा है जिन्हें रोका जावे तथा वाद वादी खारिज किया जावे।

3. वादीगण ने जवाबबुल एवं जवाब काउण्टर क्लेम पेश किया जिसमें काउण्टर क्लेम के तथ्यों को गलत बयानी बताते हुए और कथन किया कि आड़ की सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने अस्थाई तौर पर घरू समझोता के अनुसार भूमि बांट रखी है जिसमे किला नं. 1 ता 12 व 13/.10 कुल 12.10 बीघा वादीगण के कब्जा में एवं किला नं. 13/.10 एवं किला नं. 14 ता 25 कुल 12.10 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण के कब्जा में है। वादीगण ने किला नं. 1, 10, 11 में अपनी भूमि में से प्रतिवादीगण को पानी लगाने के लिए आड़ दे रखी है तथा प्रतिवादीगण ने अपना कब्जा काश्त की भूमि में से 15, 16, 25 में से रास्ता दे रखा है जिसमें वे अब रूकावट पैदा कर रहे है। अतः काउण्टर क्लेम खारिज किया जावे एवं दावा डिक्री फरमाया जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पीलीबंगा से प्रस्ताव प्राप्त किया एवं उभयपक्षकारान तहसील से प्राप्त प्रस्ताव में रास्ते खाले का पूर्ण ध्यान रखने पर उभयपक्षकारान पूर्णरूप से सहमत होने का अंकन करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

5. रेस्पोडेण्ट्स के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा भेजे गये रेस्पोडेण्ट संख्या 1, 4, 16 ता 19 के अधिवक्ता उपस्थित आये शेष रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि पैतृक व जद्दी जायदाद है जिसमें अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का हिस्सा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को कम हिस्सा प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय खाले व रास्ते की भूमि को कम किये बिना ही जिस हिस्से में रास्ता व खाला है उसी अनुसार अंतिम डिक्री प्रदान कर दी। अंतिम डिक्री पारित करते समय सुनवाई का मौका नही दिया एवं अधीनस्थ न्यायलाय ने दस्तावेजी साक्ष्यों पर कोई गौर नहीं किया है। वादीगण ने अपने कब्जा संबंधी किसी प्रकार का अभिलेख विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया जिससे कि उनके अभिकथित कब्जा विशिष्ट किला/बीघों पर होना प्रमाणित होतो हो। खेतों में जाने के लिए रास्ते की भूमि का सही विभाजन नही किया जिससे अपीलाण्ट अपने हिस्से के खेतों में नहीं पहूंच

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

पायेंगे। अपीलाण्ट संख्या 5 ता 7 को नहरी पानी लगाने के लिए खाले की जगह भी नहीं दी गई एवं हमारी भूमि में से रास्ते की भूमि भी कम कर दी गई जिससे अपीलाण्ट सं0 5 ता 7 की भूमि कम हो गई। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था जब 26.08.2013 को अधीनस्थ न्यायालय का इजराय की पालना बाबत नोटिस दिया तब अपीालधीन निर्णय का ज्ञान हुआ। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अतः डिले कन्डोन की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि सह खातेदार रावता, भादर व मघा फौत हो चुके हैं उसके वारीसान से अन्य खातेदारान से वादीगण का रकम राज पानी व काश्त की बाबत विवाद रहता है। अतः प्रश्नगत भूमि में से वादीगण के हिस्सा की भूमि का अच्छे में से अच्छा व खराब में से खराब के हिसाब से प्रतिवादीगण से खाता तकसीम फरमाया जाने का अनुतोष चाहा गया था जो स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

9. शेष अधिवक्तागण ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

10. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

11. धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं उसका सशपथ खण्डन नहीं होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

12. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट् ने प्रश्नगत भूमि को जद्दी जायदाद बताते बताते हुए खाता विभाजन का वाद पेश किया था, जो अपीलाधीन निर्णय के द्वारा तहसीलदार पीलीबंगा से

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा अपने पत्रांक 2625 दिनांक 28.06.2006 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है। इस पत्र के साथ जो विभाजन प्रस्ताव है वह केवल पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जबकि राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार स्वयं भूमि पर जाकर प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायाल द्वारा हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के आधार पर अन्तिम डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

13. उपरौक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.07.2011 निरस्त किये जाते हैं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 में विवादित भूमि के संबंध में विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

14. निर्णय आज दिनांक 27.08.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

27/8/21

(करतार सिंह पूनियाँ)

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.13 12:36:50 IST
Reason: SelfAttested